फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.बु.) चौमू

डीगर बनाम मंगल चन्द

मुकदमा संख्या /वर्ष : 46 /2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	25/5/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 4/10/21 को पेश हो।	
	4/10/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/11/21 को पेश हो।	
	20/11/21	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प कोटे ग्राम खेजरोली में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद तकसीमा एवं कब्जे निषेधाज्ञा का है। जिसमें सुनवाई एवं मौहिट पर लिखित किया जाना है। पक्षकारान के मध्य वाद बाहुलता को रोकने हेतु न्यायालय अधिगत में इस न्यायालय के अधीनस्थ आदेश को रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16/10/20 को जारी अनावश्यक [illegible] निषेधाज्ञा आदेश को मौकेसला [illegible] रद्द किया जाता है। [illegible] कुमार डोगर दर्ज [illegible] है एवं दाखिल दफ्तर डोगर [illegible] वाद के साथ संलग्न रहे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.02.08 16:22:47 IST
Reason: SelfAttested